भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2591
दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना

2591. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं;
(ख) सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;
(ग) मध्य प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां सबसे अधिक संख्या में डेयरी उद्योग कार्यरत हैं; और
(घ) डेयरी उद्योगों से संबंधित राज्यों को प्रदान किए जा रहे अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग पूरे देश में डेयरी के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
iii. डेयरी क्रियाकलापों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)
iv. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

डेयरी उद्योग को अधिक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड़ राज्य के आकांक्षी और पिछड़े जिलों में प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना, दूध खरीद प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, सभी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण दुग्ध अवसंरचना हेतु एनपीडीडी के तहत सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) आदि के द्वारा मिलने वाले सहयोग के अलावा अनुदान-सहायता और कम ब्याज वाले ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जाती है। डीआईडीएफ के मामले में सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों, पंजीकृत एसएचजी/एफपीओ को दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन क्षमता के सृजन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण

सहायता के रूप में 2.5% ब्याज सब्वेंशन के साथ ऋण सहायता प्रदान की जाती है। डेयरी क्रियाकलापों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ) के तहत सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को 2% ब्याज सब्वेंशन तथा समय पर भुगतान करने पर 2% के अतरिक्त ब्याज सब्वेंशन के साथ कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एएचआईडीएफ योजना के तहत एफपीओ, निजी कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों और धारा 8 की कंपनियों को 3% ब्याज सब्वेंशन के साथ ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है। डीआईएफ, एसडीसीएफपीओ और एएचआईडीएफ योजनाएं सभी राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए है।

(ग) प्रमुख जिले जिनमें अधिक संख्या में डेयरी उद्योग संचालित है उनमें सिहोर शाजापुर, राजगढ़, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, भिंड़, मुरैना जबलपुर, छिंदवाड़ा, स्योनी, बालाघाट और सागर शामिल हैं।

(घ) डेयरी उद्योग से संबधित मध्यप्रदेश (म.प्र.) सहित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता और ब्याज सब्वेंशन के साथ अनुदानों का योजनावार विवरण नीचे दिया गया हैं।

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	**योजनाओ के नाम**	**परियोजना परिव्यय**		**केंद्रीय हिस्सा (अनुदान)**		**ऋण राशि**	
		पूरे भारत में	म.प्र.	पूरे भारत में	म.प्र.	पूरे भारत में	म.प्र.
1	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)	2121.15	63.61	1677.46	57.74	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास (डीआईडीएफ)	5477.67	83.85	54.59*		3467.96	50.00
3	एएचआईडीएफ	514.29	9.72	10.88	0.06*	397.76	2.40

ब्याज सब्वेंशन डीएएचडी, भारत सरकार द्वारा संबंध वित्तीय संस्थानों/नाबार्ड को जारी किया गया।

****